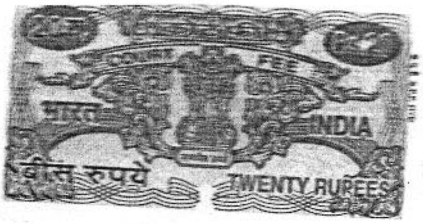

390

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–सतना

III/निगरानी/सतना/भू.रा/2017/3533

मुन्नीलाल कुशवाह पुत्र स्व. बिहारीलाल कुशवाह
निवासी – नागौद तहसीन नागौद
जिला – सतना (म.प्र.)
.... आवेदक

दिनांक 25-9-17 को श्री ... चतुर्वेदी अभि. द्वारा प्रस्तुत।
25-9-17

C12 3.10.17

विरूद्ध

1. दादूलाल सिंह पुत्र श्री सीता शरण सिंह सेवानिवृत राजस्व निरीक्षक
2. जय प्रकाश पुत्र श्री दादूलाल सिंह
3. जय शंकर पुत्र श्री दादूलाल सिंह
निवासी – नागौद तहसीन नागौद
जिला – सतना (म.प्र.)
.......अनावेदकगण

न्यायालय अधीक्षक भू–अभिलेख जिला सतना द्वारा प्रकरण क्रमांक 80/18/भू–अभि./भू–प्र./2017 में पारित आदेश दिनांक 12.01.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

25/9/17

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम नामतारा कि आराजी नं. 416 रकवा 0.167 है0 की सीमांकन व नक्शा तरमीम बावत् आवेदन पत्र अनावेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय तहसीलदार नागौद के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 10/अ–12/09–10 प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन उपरान्त प्रस्तुत प्रतिवेदन की पुष्टीकरण के पश्चात् आदेश दिनांक 18.11.2009 पारित किया गया इस आदेश के पूर्व आवेदक को किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दीं गयी ऐसी स्थिति में वह अपनी साक्ष्य पस्तुत करने से वंचित हुये है।

3

2. यहकि, तहसीलदार नागौद के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर

390

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–III/निगरानी/सतना/भू.रा./2017/3533

मुन्नीलाल कुशवाह विरूद्ध दादूलाल सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28–02–2019	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अधीक्षक भू–अभिलेख, जिला–सतना के प्र. क्र. 80/18/भू–अभि./भू.प्र./2017 में पारित आदेश दिनांक 12–01–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 मे दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 25–4–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 28/2/2019 (आर.के. जैन) सदस्य	